

**भारत सरकार**  
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**तारांकित प्रश्न संख्या \*481**  
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

**पोषण अभियान और आईसीडीएस के तहत अंडे परोसना**

**\* 481. सुश्री सयानी घोष:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने पोषण अभियान तथा एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) को लागू करने वाले राज्यों के लिए कैलोरी संबंधी संरचना और प्रति लाभार्थी व्यय के संदर्भ में कोई दिशानिर्देश बनाए हैं/ जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या केंद्र सरकार ने पोषण अभियान, आईसीडीएस, मध्याह्न भोजन आदि के हिस्से के रूप में राज्यों को अंडे परोसने का सुझाव दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या कुछ राज्य कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में अंडे परोसना चाहते हैं लेकिन वे पर्याप्त धनराशि न होने के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं क्योंकि दाल, चना या सोयाबीन आदि अंडों से सस्ते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या उक्त योजनाओं के तहत अंडे परोसने वाले राज्य प्रत्येक कुपोषित महिला / बच्चे या लाभार्थी को ये अंडे उपलब्ध करा रहे हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**  
**महिला एवं बाल विकास मंत्री**  
**(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)**

**(क) से (ङ):** विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

\*\*\*\*\*

**“पोषण अभियान और आईसीडीएस के तहत अंडे परोसना” विषय के संबंध में सुश्री सयानी घोष द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 481 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**(क) से (ड):** 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत, कुपोषण की चुनौती का समाधान करने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु की) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जहां विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत, जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर कुपोषण के अंतर-पीढ़ीगत चक्र को समाप्त करने के लिए बच्चों (6 माह से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। इसे मुख्य रूप से अनुशंसित आहार भत्ता (आरडीए) और औसत दैनिक सेवन (एडीआई) के बीच के अंतर को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पूरक पोषण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित किया गया है। पुराने मानदंड मुख्यतः कैलोरी-विशिष्ट थे; तथापि, संशोधित मानदंड पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक और संतुलित हैं, जो आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित हैं और इनमें गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, अच्छी वसा और 7 आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने का प्रावधान है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय परिस्थितियों और उपलब्धता के अनुसार मेनू तय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दिनांक 25 जनवरी, 2023 को संशोधित एनएफएसए, 2013 की अनुसूची-II **अनुलग्नक** में संलग्न है।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए पूरक पोषण के लागत मानदंड इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	श्रेणियां	दरें (प्रतिदिन प्रति लाभार्थी) (रुपये)
1.	बच्चे (6-72 माह)	8.00
2.	गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे (6-72 माह)	12.00

3.	गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं	9.50
4.	किशोरियां (14-18 वर्ष)	9.50

इस योजना के अंतर्गत पूरक पोषण, एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 300 दिनों अर्थात् औसतन एक माह में 25 दिनों के लिए पका हुआ गर्म भोजन (एचसीएम) और घर ले जाने के लिए राशन (टीएचआर - कच्चा राशन नहीं) के रूप में दिया जाता है।

स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने तथा एनीमिया को दूर करने के लिए इस योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में स्थानीय आहार सामग्री और ताजा उपज (हरी सब्जियां, फल, औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियां), फोर्टिफाइड चावल और मिलेट्स, मेवे और मूंगफली और तिल के बीज जैसे तिलहन को आवश्यक रूप से शामिल किया जाता है। घर ले जाने के लिए राशन (कच्चा राशन नहीं) और पका हुआ गर्म भोजन (एचसीएम) के लिए खाद्य सामग्री राज्यों में अलग-अलग होती है और इसमें स्थानीय रूप से उगाए गए/उपलब्ध पौष्टिक फल और सब्जियां शामिल होती हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है कि वे लक्षित लाभार्थियों जैसे कि गंभीर रूप से तीव्र कुपोषित (एसएएम) वाले बच्चे, 14-18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियां, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं तथा 6 माह से 3 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर घर ले जाने के लिए दिए जाने वाले राशन उत्पादों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने तथा महिलाओं तथा बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पका हुआ गर्म भोजन तैयार करने तथा घर ले जाने वाले राशन में सप्ताह में कम से कम एक बार मिलेट्स के उपयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है।

बजट भाषण 2025-26 के दौरान, पोषण सहायता के लिए लागत मानदंडों को उचित रूप से बढ़ाने की घोषणा की गई है।

\*\*\*\*\*

## अनुलग्नक

“पोषण अभियान और आईसीडीएस के तहत अंडे परोसना” विषय के संबंध में सुश्री सयानी घोष द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 481 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

आयु/ शारीरिक समूह	भोजन का प्रकार	ऊर्जा (किलोकैलोरी)	प्रोटीन (ग्राम)	प्रोटीन गुणवत्ता (प्रोटीन पाचन क्षमता सुधारित एमिनो एसिड स्कोर)	कुल वसा (ग्राम)	कार्बोहाइड्रेट (ग्राम)	अनाज दाल अनुपात	कैल्शियम (मिलीग्राम)	जस्ता (मिलीग्राम)	आयरन (मिलीग्राम)	आहार फोलेट (µg)	विटामिन ए (µg)	विटामिन बी6 (मिलीग्राम)	विटामिन बी12 (µg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
छह माह से ऊपर और बारह माह तक	घर ले जाने के लिए राशन	200	8- 10	0.8- 1.0	10- 12	20	2:1	100	0.7	0.7	24	57	0.17	0.33
एक वर्ष से ऊपर और तीन वर्ष तक	घर ले जाने के लिए राशन	400	15- 20	0.8- 1.0	15- 20	40	2:1	135	1.0	2.0	35	60	0.27	0.33
तीन वर्ष से ऊपर और छह वर्ष तक	सुबह का नाश्ता और पका हुआ गर्म भोजन	400	15- 20	0.8- 1.0	15- 20	55	2:1	150	1.5	3.0	40	80	0.33	0.67
छह माह से ऊपर और बारह माह तक के कुपोषित बच्चे	घर ले जाने के लिए राशन	400	15- 20	0.8- 1.0	15- 18	35	2:1	200	1.5	1.5	50	115	0.35	0.66
एक वर्ष से ऊपर और तीन वर्ष तक के कुपोषित बच्चे	घर ले जाने के लिए राशन	700	25- 30	0.8- 1.0	25- 30	70	2:1	270	2.0	4.0	70	120	0.55	0.66
तीन वर्ष से ऊपर और छह वर्ष तक के कुपोषित बच्चे	सुबह का नाश्ता, पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाने के लिए राशन	800	25- 30	0.8- 1.0	25- 30	70	2:1	300	3.0	6.0	80	160	0.66	1.24
गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं	पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाने के लिए राशन	600	22- 25	0.8- 1.0	22- 25	80	3:1	335	4.0	7.0	160	240	0.63	0.73
पांचवीं से नीचे की कक्षाएं	पका हुआ गर्म भोजन	450	15-20	0.8-1.0	18-21	70	3:1	170	2.0	3.5	50	100	0.43	0.66
पांचवीं से ऊपर की कक्षाएं	पका हुआ गर्म भोजन	700	22-25	0.8-1.0	22-25	100	3:1	270	4.0	5.5	75	145	0.66	0.66

\*\*\*\*\*